भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1463
(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 09 फरवरी, 2026/20 माघ,1947 (शक) को दिया जाना है)

देश का विदेशी ऋण

1463. श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मार्च 2025 के अंत तक देश का विदेशी ऋण बढ़कर लगभग 736.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में भारी वृद्धि को दर्शाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ख) क्या यह अनुमान लगाया गया है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान यह ऋण और बढ़कर 747 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो सकता है और यदि हाँ, तो विदेशी ऋण-जीडीपी अनुपात की वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बढ़ते विदेशी ऋण के भविष्य के ऋण शोधन लागत और राजकोषीय लचीलेपन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो विदेशी ऋण के बोझ को कम करने और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में उतार-चढ़ाव के कारण मूल्यांकन प्रभाव से उत्पन्न जोखिमों के प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) मार्च 2025 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण 736.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि मार्च 2024 के अंत तक यह 668.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें 67.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।

(ख) चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान विदेशी ऋण के स्तर के संबंध में कोई अनुमान नहीं लगाया गया है। सितंबर 2025 के अंत तक उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत का विदेशी ऋण 746.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। सितंबर 2025 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण-के सापेक्ष-जीडीपी अनुपात 19.2 प्रतिशत है।

(ग) विभिन्न राष्ट्रों का विदेशी ऋण समय के साथ बढ़ता है क्योंकि यह निवेश और उत्पादकता में वृद्धि से जुड़ा हुआ है। भारत में भी यही स्थिति रही है। भारत ने चालू खाता घाटे को सतत सीमा के भीतर रखने के व्यापक उद्देश्य के साथ अपने विदेशी ऋण का विवेकपूर्ण प्रबंधन किया है।

भारत का ऋण सेवा अनुपात 2024-25 में 6.6 प्रतिशत से घटकर 2025-26 (सितंबर 2025 तक) में 6.0 प्रतिशत हो गया है। सितंबर 2025 के अंत तक, विदेशी ऋण-के सापेक्ष-जीडीपी अनुपात 19.2 प्रतिशत था, जबकि विदेशी मुद्रा भंडार-के सापेक्ष-बाह्य-ऋण अनुपात 93.8 प्रतिशत था। इन संकेतकों से पता चलता है कि भारत का विदेशी ऋण सतत है और विवेकपूर्ण तरीके से प्रबंधित है।

(घ) भारत सरकार की विवेकपूर्ण विदेशी ऋण प्रबंधन नीति ने विदेशी ऋण की सहज स्थिति को बनाए रखने में सहायता की है। इस नीति में दीर्घावधि और अल्पावधि ऋण की मॉनीटरिंग, दीर्घ परिपक्वता अवधि के साथ रियायती शर्तों पर सॉवरेण ऋण जुटाने, विदेशी ऋण की विविध मुद्रा संरचना को बनाए रखने, विदेशी वाणिज्यिक उधारों को विनियमित करने और अनिवासी भारतीय जमाराशियों पर ब्याज दरों को युक्तिसंगत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

****